आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर

सेवा अपील वाद सं0–66/2022

श्री मनोज कुमार

बनाम

राज्य सरकार एवं अन्य

आदेश

अनुसूची 14–फारम सं0–563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3
09.02.2023	माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा CWJCसंख्या–3934/2021 में दिनांक–01.02.2022 को दिये गये आदेश के आलोक में श्री मनोज कुमार, तत्कालीन लिपिक सह–नाजीर, अंचल कार्यालय, बन्दरा, मुजफ्फरपुर द्वारा यह अपील दायर की गयी है। जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर से प्राप्त मूल अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह मामला श्री मनोज कुमार, तत्कालीन नाजीर–सह–लिपिक, अंचल कार्यालय, बन्दरा पर लगाये गये आरोप पर लिये गये निर्णय से संबंधित है। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि श्री मनोज कुमार, तत्कालीन लिपिक सह–नाजीर, अंचल कार्यालय, बन्दरा, मुजफ्फरपुर को बन्दरा अंचल नजारत में रोकड़ बही में बरती गयी अनियमितता एवं राशि के गबन के आरोप में जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के आदेश ज्ञापांक–857 दिनांक–17.09.2007 द्वारा निलंबित करते हुए उनके विरूद्ध आरोप प्रपत्र 'क' गठित किया गया। अंचलाधिकारी, बन्दरा द्वारा उनके विरूद्ध प्राथमिकी भी दर्ज की गयी थी। आरोप पत्र में गठित आरोप निम्न हैः– (i) दिनांक 16.06.2006 को गलत तरीके से श्री संतोष चौधरी के नाम से अग्रिम पंजी पर मो0–10,000.00(दस हजार)रूपया दर्ज कर श्री कुमार द्वारा राशि का गबन कर लिया गया। (ii) दिनांक–16.06.2006 को श्री संतोष चौधरी, डीजल विक्रेता, बन्दरा को	

WEB COPY NOT OFFICIAL

	दी गयी द्वितीय अग्रिम के विरूद्ध प्राप्त अभिश्रव को सहायक रोकड़ पंजी में मो0– 10,000.00(दस हजार) रूपया दर्ज किया गया तथा इस राशि का गबन कर लिया गया। (iii) दिनांक–30.05.2006 एवं दिनांक–16.06.2006 को उर्मिला किसान सेवा पेट्रोल पम्प को दी गयी अग्रिम के विरूद्ध प्राप्त अभिश्रव को सहायक रोकड़ पंजी में मो0–50,000.00(पचास हजार) रूपया दर्ज किया गया लेकिन अग्रिम पंजी से उस राशि को घटाया नहीं गया तथा इस राशि का गबन कर लिया गया। (iv) दिनांक–12.06.2006, दिनांक–16.06.2006 एवं23.06.2006 को बबलू प्रसाद, (बबलू होटल) को दी गयी अग्रिम के विरूद्ध प्राप्त अभिश्रव को सहायक रोकड़ पंजी में मो0–47,000.00(सैंतालिस हजार) रूपया दर्ज किया गया लेकिन अग्रिम पंजी से उस राशि को घटाया नहीं गया तथा इस राशि का गबन कर लिया गया। (v) दिनांक–12.05.2006 को टेन्ट हाउस को दी गयी अग्रिम के विरूद्ध प्राप्त अभिश्रव को सहायक रोकड़ पंजी में मो0–1000.00(एक हजार) रूपया दर्ज किया गया लेकिन अग्रिम पंजी से उस राशि को घटाया नहीं गया तथा इस राशि का गबन कर लिया गया। (vi) विभिन्न तिथियों को अनियमित तरीके से उनके द्वारा साजिश के तहत मो0–3,51,000.00(तीन लाख ईक्यावन हजार) रूपया अग्रिम के रूप में प्राप्त किया है जिसके बारे में उनके द्वारा अग्रिम पंजी में अंकित किया गया है कि यह राशि चौकीदारों को अग्रिम वेतन भुगतान हेतु लिया गया, जबकि रोकड़ पंजी से यह स्पष्ट है कि चौकीदारों को उक्त अवधि में नियमित रूप से वेतन भुगतान होता रहा है। उपर्युक्त राशि सहाय्य मद का गेहूँ बिक्री से संबंधित एवं अन्य मद का है। जिसका उनके द्वारा पूर्व में गबन कर लिया गया है एवं इसी को छुपाने के लिए उनके द्वारा पदाधिकारी से मिलकर अग्रिम दर्ज की गयी है। (vii) नियम विरूद्ध दूसरे अंचल की जीप की मरम्मति से संबंधित विपत्र का भुगतान मो0–49,000.00(उनचास हजार) रूपया फर्जी विपत्र के द्वारा किया गया है। विपत्र पर प्राप्ति राशि अंकित नहीं है इससे स्पष्ट होता है कि फर्जी विपत्र के माध्यम से उक्त राशि का गबन कर लिया गया है। संचालन पदाधिकारी के द्वारा विभागीय कार्यवाही का विधिवत् संचालन कर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया जिसमें श्री कुमार के विरूद्ध गठित सभी आरोप प्रमाणित पाये गये।संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन संलग्न करते हुए जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा श्री कुमार से द्वितीय	

WEB COPY NOT OFFICIAL

कारण–पृच्छा की मांग की गयी। श्री कुमार का द्वितीय कारण–पृच्छा संतोषजनक नहीं होने एवं गबन के आरोप में दोषी पाये जाने के कारण बिहार बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली के नियम165 एवं 166 तथा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 में वर्णित प्रावधानों के आलोक में जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के आदेश ज्ञापांक–458 दिनांक–30.06.2014 द्वारा श्री कुमार को सेवा से बर्खास्तगी का दंड दिया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलकर्ता ने इस न्यायालय (आयुक्त) में वाद दायर किया। उक्त वाद में आयुक्त न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 14.03.2015 से अपीलकर्ता के अपील आवेदन को खारिज कर दियागया।

उक्त पारित आदेश के विरूद्ध श्री कुमार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC NO-8442/2015दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–13.11.2019 को पारित आदेश में अंकित है कि–

"In the circumstances, this Court would consider it appropriate that the matter is remitted back to the District Magistrate, Muzaffarpur. Let copies of the documents being relied upon by the Department be furnished to the petitioner or adequate opportunity of inspection, at least 15 days before hearing the matter, be granted so as to enable him to meet the charges and make out his defence to make the process of Enquiry substantially just. The petitioner should be treated as being under suspension and after affording such opportunity, the final decision should be taken by the Authorities in accordance with law.

The order of the District Magistrate dated 30.06.2014 as well as the order of Appellate Authority are, therefore, hereby quashed."

माननीय उच्च न्यायालय केउपर्युक्त के आदेश के आलोक में जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा विधि सम्मत् सुनवाई हेतु श्री कुमार को सूचना निर्गत किया गया।सुनवाई के क्रम में श्री कुमार द्वारा कागजातों की मांग की गयी, जिसे उपलब्ध करा दिया गया। दिनांक–28.05.2020 को उपस्थित होकर श्री कुमार द्वारा अपने आवेदन पत्र के माध्यम से आरोप

WEB COPY NOT OFFICIAL

स्वीकार करते हुए गबन की गयी राशि जमा करने हेतु 2–3 माह की समय की मांग की गयी। इनके आवेदन पर सहानूभुति विचार करते हुए जिला पदाधिकारी द्वारा गबन की गयी राशि सूद सहित जमा करने हेतु 02 माह का समय दिया गया। परन्तु 02 माह पश्चात् निर्धारित सुनवाई की तिथि 07.08.2020 को आरोपित कर्मी उपस्थित नहीं हुए और न ही राशि जमा करने की सूचना दी गयी। श्री कुमार की पुत्री द्वारा गबन की राशि एवं जीवन–निर्वाह भत्ता भुगतान के संबंध में आवेदन दिया गया, जो स्वीकार योग्य नही पाया गया। प्रमाणित आरोपों के आधार पर जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के आदेश ज्ञापांक–1190 दिनांक–19.08.2020 द्वारा बिहार बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली के नियम 165 एवं 166 तथा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 14 में वर्णित प्रावधानों के आलोक में श्री कुमार, तत्कालीन लिपिक–सह–नाजीर को सेवा से बर्खास्त किया गया जिसके विरुद्ध अपीलकर्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC NO-3934/2021 दायर किया गया, जिसके आलोक में यह वाद दायर है। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC NO-3934/2021 में दिनांक–01.02.2022 को आदेश पारित किया गया, जिसका अंश निम्नवत् हैः–

'' Reserving liberty to the petitioner to prefer appeal before the Appellate Authority. If such appeal is filed, the same shall be considered within a period of three months from the date of receipt of such appeal.

With the above observations, writ petition stands disposed off. ''

अपीलकर्ता के विद्धान अधिवक्ता का कहना है कि अपीलकर्ता वर्ष 2007 से 2014 तक बर्खास्तगी की स्थिति में अपना जीवन यापन कर रहें हैं। अपीलकर्ता की दो बच्चियां विवाह योग्य हो चुकी है एवं मॉ कीडनी रोग से ग्रसित हैं। परिवार मे उनके (अपीलकर्ता) सिवा कोई दूसरा देखने वाला नहीं है, एवं नौकरी के सिवा उनको दूसरा कोई आधार नहीं है। जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा अपीलार्थी को 20,000.00/– प्रति माह जमा करने का आदेश दिया गया था परन्तु उसका अनुपालन अपीलकर्ता द्वारा कोविड–19 के वजह से ससमय नहीं किया जा सका। कोविड की वजह से अपीलकर्ता ने अपने आवेदन दिनांक–28.05.2020 एवं 06.08.2020 द्वारा जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचित किया कि लॉक डाउन के वजह से उपस्थित होने में असमर्थ हैं तथा राशि जमा करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की गयी। परन्तु जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा लॉक डाउन एवं अपीलकर्ता की परिस्थिति पर विचारकिये बिना

WEB COPY NOT OFFICIAL

	अपीलकर्ता को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया हैं, जो नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध है एवं गलत है। वहीं विद्वान सरकारी अधिवक्ता के अनुसार जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में अपना आदेश पारित किया है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अपीलकर्ता को उनके विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता को सुनने, वाद अभिलेख एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख में पोषित कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि श्री मनोज कुमार तत्कालीन लिपिक–सह–नाजीर को बंदरा अंचल नजारत में रोकड़ बही में बरती गयी अनियमितता एवं राशि के गबन के आरोप में निलंबित करते हुए प्रपत्र 'क' का गठन कर विभागीय कार्यवाही चलायी गयी। इसके बाद जिला पदाधिकारी द्वारा अपीलकर्त्ता के उपर लगे आरोप एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के विवेचनोपरांत अपने आदेश ज्ञापांक 458/स्था0 दिनांक 30..06.2014 द्वारा उन्हें (अपीलकर्त्ता) को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। जिसके विरूद्ध अपीलकर्त्ता ने इस न्यायालय (आयुक्त) में वाद दायर किया। इस न्यायालय (आयुक्त न्यायालय) के आदेश दिनांक 14.03.2015 से अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया।उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलकर्त्ता ने माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 सं0 8442/2015 दायर किया। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के न्यायादेश दिनांक 13.11.2019 के आलोक में अपीलकर्त्ता को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए एवं उन्हें वांछित सभी कागजात उपलब्ध कराते हुए अपने आदेश ज्ञापांक 1190 दिनांक 19.08. 2020 से बर्खास्तगी का आदेश पारित किया है। उल्लेखनीय है कि श्री मनोज कुमार, तत्कालीन लिपिक–सह–नाजीर के विरूद्ध गबन के सभी आरोप सत्य पाये गये है। अब जहाँ तक अपीलकर्त्ता का यह कहना की जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर ने अपीलकर्त्ता की परिस्थिति एवं कोविड 19 जैसे बातों पर विचार किये हुए अपना आदेश पारित किया है, इस संबंध में निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 28.05.2020 को अपीलकर्त्ता ने जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को गबन की गई राशि जमा करने हेतु 2–3 माह के समय की माँग की गई थी, एवं उनके निलंबन दिनांक 30.06.2014 को निरस्त करते हुए सेवा बहाल करने का अनुरोध किया गया था। उक्त माँग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने ज्ञापांक 702 दिनांक 28.05.2020 से उनके माँग को मानते हुए अनुपालन से संबंधित सूचना के साथ दिनांक 07.08.2020 को 11 बजे पूर्वाहन् में उनके	

WEB COPY NOT OFFICIAL

समक्ष उपस्थित होने हेतु निदेशित किया गया परंतु उनके द्वारा उस आदेश का अनुपालन नहीं किया गया, जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेवार हैं। इसलिए इससे उनका यह दावा मान्य नहीं हो सकता है। जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा गबन की गई राशि सूद सहित जमा करने हेतु पर्याप्त समय दिया गया, परंतु श्री कुमार द्वारा उक्त राशि जमा नहीं की गयी। इससे प्रतीत होता है कि श्री कुमार गबन की राशि जमा करना नही चाहते थे, जिसके आधार पर जिला पदाधिकारी द्वारा उन्हें सेवा से बर्खास्तगी की शास्ति अधिरोपित की गई। साथ ही उनका यह आचरण उच्चाधिकारी के आदेश के अवहेलना का भी द्योत्तक है। अपीलकर्ता के इस कृत्य से यह भी परिलक्षित होता है कि वे एक अनुशासनहीन कर्मी है एवं उनका यह कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम 3(1) केप्रतिकूल है। श्री कुमार एवं उनके पुत्री द्वारा अलग–अलग समय में समर्पित अभ्यावेदनों में आरोप को स्वीकार करते हुए गबन की गई राशि को सूद सहित जमा करने हेतु समय की मांग की गई है। बर्खास्त कर्मी द्वारा आरोप को स्वीकार लेने के पश्चात् गबन जैसे गंभीर मामले में जिला पदाधिकारी द्वारा संसूचित बर्खास्तगी का आदेश उचित है। अतएव जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा बिहार बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली के नियम 165 तथा 166 के आधार पर अपीलकर्त्ता को सेवा से बर्खास्तगी का आदेश पारित किया गया है जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

उपर्युक्त के आलोक में निम्न न्यायालय के पारित आदेश में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं पाते हुए प्रस्तुत अपीलवाद खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त   आयुक्त

WEB COPY NOT OFFICIAL